

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री रोहित कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 166/2019

सरकार

बनाम

1. हिमताराम, रणछोडराम, रूपाराम,
पोकरराम, घेवरराम, बाबुलाल वगैरे

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू-राजस्व अधिनियम सपठित नियम
59,60,66,86
भू-अभिलेख नियम 1970.

आदेश

दिनांक:-24.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कल्याणपुर के मूल खसरा नं. 462 है वर्तमान में इसके विभाजन खसरा न. 1164/462, 1163/462, 1161/462 व 1162/462 जिनकी वर्तमान जमाबंदी अनुसार स्थिति संलग्न परिशिष्ट अ के कालम 1 से 7 अनुसार है। तरमीम की हुई नहीं है। मौका अनुसार इन चारों खसरान की तरमीम की जाना सम्भव नहीं है। अतः परिशिष्ट 'अ' के कालम 8 से 12 अनुसार खसरे व खाते का एकीकरण करने का आदेश का निवेदन किया।

विप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया गया। बावजूद इतला विप्रार्थीगण अनुपरिथत।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 131, 136 के तहत राजस्व रेकॉर्ड में हुई किसी अशुद्धि को शुद्ध करने हेतु आदेश दिया जाता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विभाजित खसरान का एकीकरण कर एक खसरा नम्बर एक खाता दर्ज करने का आदेश देने का निवेदन किया गया जिसके कारण यह सारहीन है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश खुल न्यायालय मे दिनांक .09.01.2020 को सुनाया गया।

(रोहित कुमार)

भू-अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा

